

Member of Parliament Local Area Development Scheme



भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

No.C/12/2008/MPLADS

Dated
5th June,2008

To

All Nodal Secretaries of States/UTs.

Subject:- Clarification on Para 4.9 of Guidelines on MPLADS

Sir / Madam,


Attention is invited to Para 4.9 of Guidelines on MPLADS which lays down that "The balance of funds (funds not committed for the recommended and sanctioned works) left by the nominated Members of Rajya Sabha in the Nodal District will be equally distributed amongst the successor nominated Members of Rajya Sabha by the Government of India.

However, the unspent balance of former Nominated Rajya Sabha Members from 1993-94 to 2004-05, if not already distributed, will be equally distributed among the sitting Nominated Rajya Sabha Members".

2. Due to the practical difficulties in implementing the above provision, this Ministry has reviewed Para No.4.9 of Guidelines and **it has been decided** that the balance of funds (funds not committed for the recommended and sanctioned works) left by the nominated Members of Rajya Sabha in the Nodal Districts will be equally distributed amongst the successor nominated Members of Rajya Sabha **by the State Government with the approval of Government of India.**

3. This issues with the approval of competent authority.

Yours faithfully,


(Dharam Pal)

Deputy Secretary to the Govt. of India
Tele No. 23364193

Copy to 1. All Nodal District Authorities
2. Policy file



भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

सं. सी/12/2008/एमपीलैड्स

Dated 5 जून 2008

सेवा में,

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी नोडल सचिव ।

विषय:- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशा-निर्देशों के पैरा 4.9 के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महोदय/महोदया,


आपका ध्यान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशा-निर्देशों के पैरा 4.9 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें कहा गया है कि “केन्द्रक जिलों में राज्य सभा के नामित सदस्यों द्वारा छोड़ा गया निधियों का शेष, (वे निधियां जो अनुशंसित और स्वीकृत कार्यों के लिए नहीं हैं) भारत सरकार द्वारा राज्य सभा के नामित उत्तरवर्ती सदस्यों के बीच बराबर-बराबर वितरित कर दिया जाएगा ।

तथापि 1993-94 से 2004-05 तक राज्य सभा के पूर्व नामित सदस्यों द्वारा अव्ययित शेष, यदि वह पहले वितरित न किया गया हो, को राज्य सभा के वर्तमान उत्तरवर्ती नामित सदस्यों के बीच बराबर-बराबर वितरित कर दिया जाएगा ।”

2. उपर्युक्त प्रावधान को कार्यान्वित करने में व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण, इस मंत्रालय ने दिशा-निर्देशों के पैरा 4.9 की समीक्षा की है और यह निर्णय लिया है कि राज्य सभा के नामित सदस्य द्वारा किसी नोडल जिले में छोड़ी गई शेष निधि (निधि जो अनुशंसित एवं स्वीकृत कार्यों के लिए नहीं हैं) **भारत सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा** राज्य सभा के उत्तरवर्ती नामित सदस्यों के बीच बराबर-बराबर वितरित की जाएगी ।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,


(धर्म पाल)

उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23364193

प्रतिलिपि: 1. सभी नोडल जिला प्राधिकारी।
2. पॉलिसी फाइल ।